कार्यालय, प्रधानाचार्य, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

अल्पकालिक ई–निविदा प्रपत्र 2020–21
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में प्रसव कराने वाली चिकित्सालय में भर्ती महिलाओं को
नाश्ते / भोजन की आपूर्ति निविदा
टेक्नीकल बिड (ई– निविदा फार्म)

निविदा संख्या / दिनांक	15 / बीआरजी / एमसी / नेचि–20 दिनांक 18 दिसम्बर, 2020
ई–टेण्डर पोर्टल	https://etender.up.nic.in www.brdmc.ac.in
निविदा का नाम	भोजन की आपूर्ति
फर्म ठेकेदार का नाम	
निविदा शुल्क	रू0 1000+18 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित
धरोहर / जमानत धनराशि	रू0 20000-00
निविदा प्रकाशन का दिनांक	19.12.2020
निविदा डाउनलोड प्रारम्भ करने का दिनांक	21.12.2020
निविदा का हार्ड कापी, डाक / व्यक्तिगत जमा की तिथि	28.12.2020 सायं 5:00 बजे तक
निविदा खुलने का दिनांक / समय	29.12.2020 अपरान्ह 1:00 बजे
निविदा खुलने का स्थान	प्रधानाचार्य कार्यालय कमेटी कक्ष, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

ई–निविदा की शर्ते

1. निविदादाता द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑन लाईन तथा हार्ड कापी में टेण्डर जमा करना होगा।
2. निविदा के साथ रू0 20000–00 (बीस हजार मात्र) मूल्य की अर्नेस्ट मनी जो कि प्रधानाचार्य, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के पक्ष में देय हो, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी नवीन फिक्स डिपोजिट (एफ0डी0आर0) बनवाकर बिड के साथ संलग्न करना होगा।
3. वित्तीय निविदा की अधिकतम दर रू0 100.00 एवं न्यूनतम दर रू0 90.00 से कम नहीं होनी चाहिए।
4. नियम एवं शर्ते मूल रूप में हस्ताक्षर युक्त (जिस पर निविदादाता का स्वंय द्वारा सत्यापित फोटो, स्पष्ट नाम एवं पता सहित) जमा करना होगा।
5. जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र (जी0एस0टी0 पत्र सहित) एवं आयकर विभाग पंजीकरण प्रमाण–पत्र (पैन) की स्वहस्ताक्षरित सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
6. निविदादाता निविदा के साथ रू0 100.00 (एक सौ रूपये मात्र) के स्टैम्प पेपर पर नोटरी पत्र द्वारा संलग्न प्रारूप के अनुरूप शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
7. वित्तीय निविदा फर्म के लेटर हेड पर स्पष्ट अंकों एवं अक्षरों में कम्प्यूटराईज्ड एवं स्व प्रमाणित होना चाहिए। हस्तलिखित वित्तीय निविदा मान्य नहीं होगी, हस्तलिखित निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

क्रमशः –2–

प्रधानाचार्य
बी० आर० डी० मेडिकल का०
गोरखपुर

8. वित्तीय निविदा में अंकित दर प्रसव कराने वाली चिकित्सालय में भर्ती महिलाओं तक भोजन वितरित कराने एवं स्थानीय कर आदि सहित सभी कर सम्मिलित होगा।
9. निविदादाता द्वारा उत्पन्न हुए कूड़ा-कचरा भी उठा कर ले जाना होगा। बर्तन तथा गैस का खर्च निविदादाता द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा।
10. भोजन साफ सुथरे एवं स्वच्छ तरीके से उच्च गुणवत्ता युक्त होना चाहिए तथा भोजन बनाने का स्थान भी साफ सुथरा एवं स्वच्छ होना चाहिए।
11. प्रतिदिन प्रत्येक नाश्ता /भोजन के साथ सलाद एवं सूखी हरी सब्जी -सीजनल प्रतिदिन बदल-बदलकर देना होगा। नाश्ता व भोजन निश्चित समय पर पहुँचाना अनिवार्य होगा। इसमें किसी प्रकार बिलम्ब स्वीकार्य नहीं होगा। भोजन में दाल, सब्जी, चावल इत्यादि की मात्रा एक सामान्य व्यस्क व्यक्ति के सम्पूर्ण आहार के अनुसार पूर्ण होनी चाहिए।
12. उपरोक्त व्यवस्था/भोजन का संस्था के चिकित्सकों /अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन/औचक निरीक्षण किया जा सकता है।
13. वित्तीय निविदा एवं तकनीकी निविदा अलग-अलग लिफाफे में बन्द करके एक बड़े लिफाफे में डाली जायेगी। यदि तकनीकी लिफाफे में निर्धारित प्रपत्र नहीं उपलब्ध होगें, तो उक्त निविदादाता के वित्तीय लिफाफे /बिड को नहीं खोला जायेगा तथा उसे निरस्त कर दी जायेगी।
14. निविदादाता के पास उक्त कार्य का 01 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
15. निविदादाता फर्म के पास उक्त कार्य से संबंधित विधिक रजिस्ट्रेशन एवं अन्य औपचारिकतायें /संबंधित प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा।
16. निविदा शुल्क रू0 1180-00 (समस्त कर सहित) का डी0डी0 किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत करा कर जो कि प्रधानाचार्य, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के पक्ष में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड करते हुए मूलप्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।
17. निविदादाताओं (सेवा प्रदाता/स्वंय सहायतित समूह/संस्था) के पास शासकीय/वित्तपोषित संस्थान/चिकित्सालयों में आपूर्ति/कार्य का अनुभव होना चाहिए। निविदादाता को इस आशय का अनुभव प्रमाण पत्र/आपूर्ति आदेश की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करें।
18. तकनीकी बिड खोलने के समय मॉगे जाने पर सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
19. निविदा दर अनुमोदित होने पर निविदादाता को 100.00 मूल्य के जनरल स्टाम्प पेपर पर पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर दर अनुबन्ध करना होगा, जो इसी निविदा का ही भाग माना जायेगा, जिसके साथ रू0 50000.00 की सिक्योरिटी मनी का एफ.डी.आर. जो कि प्रधानाचार्य बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के पक्ष में बन्धक हो, कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
20. निविदा के दर अनुमोदन के उपरान्त दर अनुबन्ध हेतु निविदादाता पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर चिकित्सालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार यदि अनुबन्ध नहीं करता है तो निविदा के संलग्न धरोहर धनराशि जब्त कर लिया जायेगा तथा टेण्डर निरस्त माना जायेगा एवं प्राथमिकता/वरीयता की अनुमोदित फर्म से अनुबन्ध कर लिया जायेगा।

क्रमशः -3-

प्रधानाचार्य
बी० आर० डी० मेडिकल कालेज
गोरखपुर

21. अनुबन्ध की शर्तों का उल्लघंन करने, निर्धारित अवधि के भीतर आपूर्ति/कार्य करने में असमर्थ रहने, प्रधानाचार्य के आदेशों एवं निर्देशों को अनुपालन न करने, अधोमानक/घटिया भोजन आपूर्ति करने की दशा में अनुबन्धित फर्म को ब्लैक लिस्ट/दर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा और उसके द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि जब्त कर लिया जायेगा।
22. निविदा में अंकित अनुबन्ध की पूर्ति जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में प्रसव कराने वाली चिकित्सालय में भर्ती महिलाओं को नाश्ता /भोजन की समयानुसार आपूर्ति हेतु दिनांक 31.03.2021 तक मान्य होगी। निविदादाता को अनुबन्ध की अवधि में अनुमोदित दर पर आपूर्ति /कार्य करना होगा। निविदा की अवधि को आवश्यकता पड़ने पर आगामी एक वर्ष अथवा अगले वर्ष हेतु निविदा प्रक्रिया के पूर्ण होने तक, जो भी बाद में हो, की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, जो कि अनुमोदित दर पर ही मान्य होगी।
23. निविदादाता द्वारा आपूर्ति /कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण समय–समय पर चिकित्सालय की कमेटी द्वारा किया जायेगा तथा मानक परीक्षण भी कराया जायेगा। कमेटी की रिपोर्ट अथवा निरीक्षण रिपोर्ट यदि मानक के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो आपूर्ति किये गये भोजन के देयक का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा फर्म के विरूद्ध नियमों एवं शर्तों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा एवं धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
24. निविदादाता को आपूर्ति /कार्य के सापेक्ष कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। आपूर्ति/कार्य का देयक बीजक तीन प्रतियों में देना होगा जिसे यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा बशर्ते कि बजट उपलब्ध रहे। भुगतान में बिलम्ब के कारण निविदादाता भोजन की आपूर्ति को नहीं रोकेगा। यदि ऐसा करेगा तो उसे अनुबन्ध का उल्लघंन माना जायेग इसके साथ ही भुगतान के विलम्ब की स्थिति में किसी भी प्रकार के ब्याज की मॉग नहीं की जायेगी।
25. प्रधानाचार्य/ प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
26. वेबसाईट पर उपलब्ध निविदा फार्म तथा कार्यालय में उपलब्ध निविदा फार्म में यदि कोई भिन्नता प्राप्त होती है तो कार्यालय में उपलब्ध निविदा फार्म (नियम एवं शर्तें) विधिक रूप से मान्य होगी।
27. निविदादाता निविदा में अथवा निविदा के साथ अपनी कोई शर्त या विशिष्टता नहीं जोड़ेगा। सशर्त निविदा स्वाकार्य नहीं की जायेगी। निविदादाता को निविदा के नियमों एवं शर्तों को मान्य करना होगा।
28. निविदा के नियमों एवं शर्तों के अनुरूप निविदा न होने की स्थिति में निविदा स्वीकार्य नहीं की जायेगी।
29. निविदादाता दर अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को स्थानान्तरित/सबलेट नहीं कर सकेगा।
30. माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित/माननीय न्यायालय में विचाराधीन अपराधिक मामले अथवा अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाताओं को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी या इस संबंध में किसी अन्य माध्यम से विभाग को सूचना प्राप्त होती है कि निविदादाता का कोई मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है या निविदादाता का कोई अपराधि रिकार्ड है तो तत्काल निविदादाता की निविदा को निरस्त कर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः –4–

प्रधानाचार्य
बी० आर० डी० मेडिकल कालेज
गोरखपुर

31. ऐसी फर्म जो किसी शासकीय /स्वायत्तशयी संस्था द्वारा दण्डित हो /काली सूची में डाल दी गयी हो अथवा काली सूची में डालने की कार्यवाही लम्बित हो, निविदा प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। ऐसी फर्म जो माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित हो एवं माननीय न्यायालय में फर्म के विरूद्ध मामले लम्बित हों, निविदा प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

32. प्रधानाचार्य, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को आंशिक या पूर्ण अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा। निविदादाता को इसके अतिरिक्त निविदा फार्म में दर्शाये गये नियम व शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा।

33. अनुबन्ध से संबंधित किसी भी विवाद पर प्रधानाचार्य, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर का निर्णय अन्तिम होगा, जो सभी को मान्य होगा, कोई भी न्यायिक विवाद केवल गोरखपुर क्षेत्राधिकार में दायर किया जा सकेगा।

34. निविदादाता फर्म की स्वीकृति दरों से नियमानुसार आयकर/जी.एस.टी./ अन्य टैक्स की कटौती की जायेगी। इसके साथ ही यदि सरकार (केन्द /राज्य) द्वारा वर्तमान में प्रचलित टैक्स के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के टैक्स में बढ़ोत्तरी या अन्य कोई टैक्स लागू किया जाता है तो उसे स्वंय फर्म/निविदादाता को वहन करना होगा।

प्रधानाचार्य
बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज,
गोरखपुर।

घोषणा पत्र

(रूपये 100.00 के नाम जूडिशियल स्टैम्प पर)

कार्यालय द्वारा जारी निविदा सूचना सं0 –15 / बीआरजी / एमसी / नेचि–2020 दिनांक 18.12. 2020 में वर्णित नियम व शर्तों के अन्तर्गत में श्री / श्रीमती .... निवास... ....निविदा का नाम भोजन आपूर्ति का कार्य करने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सालय में भर्ती प्रसव कराने वाली महिलाओं को नास्ता एवं भोजन की समयानुसार आपूर्ति हेतु दिनांक 31.03.2021 या अगले वित्तीय वर्ष के टेण्डर स्वीकृत होने तक के लिए अपनी दरें प्रेषित कर रहा / रही हूँ। मैंने अर्नेस्ट मनी रू0 ....एन0एस0सी0 / राष्ट्रीयत बैंक से बनी एफ0डी0आर0 (डी0डी0 बैंकर्स चेक पे आर्डर मान्य नहीं)... ....है जो प्रधानाचार्य, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के नाम बन्धक है एवं टेण्डर की क्रय की डी0डी0.. दिनांक.. संलग्न कर रहा / रही हूँ। मेरे द्वारा नियम व शर्तों को पढ़ लिया गया है। मुझे टेण्डर नोटिस व उसके नियम व शर्तें मंजूर हैं। यदि मैं निर्धारित समय के अन्दर निविदा की कार्यवाही इकरारनाम पूर्ण करने में असफल रहूँ, तो मेरी अर्नेस्ट मनी को जब्त करके सरकारी कोष में जमा करा दिया जाये। निविदा में जो दरें दी गयी हैं वह अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक व किसी अन्य सरकारी संस्थान में दी गयी दरों से अधिक नहीं है। यदि इससे अधिक पायी जाती है तो मूल्य की क्षतिपूर्ति के लिए मैं स्वंय जिम्मेदार रहूँगा / रहूँगी । इन नियम व शर्तों के विरूद्ध मैं किसी भी कार्यवाही करने के लिए अधिकारी नहीं रहूँगा / रहूँगी। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर का फैसला मान्य होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता :–

निविदादाता का नाम :–

पत्र व्यवहार का पता :–

दिनांक :–

प्रधानाचार्य
बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज
गोरखपुर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सालय में भर्ती प्रसव कराने वाली महिलाओं को नास्ता एवं भोजन की तालिका के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने हेतु डाइट चार्ट

नास्ता	दोपहर का भोजन–लन्च	रात्रि का भोजन–डिनर
प्रातः 7:00 बजे से 8:30 बजे	दोपहर 1:00 बजे से 2:00 बजे	सयं 7:00 बजे से 8:30 बजे
1 ग्लास दूध(200 एम.एल.) के साथ 02अण्डे / दलिया / पोहा / ब्रेड(4 स्लाइस) व 10 ग्राम मक्खन।	4 रोटी, दाल, मौसमी सब्जी, चावल एवं सलाद / दही।	4 रोटी, मौसमी सब्जी, चावल एवं मौसमी फल (सेब, संतरा, केला आदि) / 1 ग्लास दूध।

नोट– वित्तीय निविदा की अधिकतम दर रू0 100.00 एवं न्यूनतम दर रू0 90.00 से कम नहीं होनी चाहिए।

प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन की दर सभी कर सहित दर –	रू0
शब्दों में –	रू0

निविदादाता के हस्ताक्षर –

नाम–

पता–

प्रधानाचार्य
मे० कॉ० मेडिकल
कॉलेज